पी.एम. विश्वकर्मा योजना

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में भारत सरकार ने **विश्वकर्मा जयंती** के अवसर पर **'प्रधानमंत्री (PM) विश्वकर्मा योजना'** शुरू की है।

पी.एम. विश्वकर्मा योजना:

- **परिचय:**
  - यह योजना **लोहार, सुनार, मिट्टी के बरतन (कुम्हार), बढ़ईगीरी और मूर्तिकला जैसे** विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक **कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिये बनाई गई है,** जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है।
  - इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।
- **मंत्रालय:**
  - **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME)** इस योजना के लिये नोडल मंत्रालय है।
  - यह योजना MoMSME, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी।
- **विशेषताएँ:**
  - **मान्यता और समर्थन:** योजना में **नामांकित कारीगरों व शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र** तथा एक **पहचान पत्र** प्राप्त होगा।
    - वे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए (पहली किश्त) और 2 लाख रुपए (दूसरी किश्त) तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता के लिये भी पात्र होंगे।
  - **कौशल विकास और सशक्तिकरण:** इस योजना को सत्र 2023-2024 से सत्र 2027-2028 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिये**13,000 करोड़ रुपए** का बजट आवंटित किया गया है।
    - यह योजना **कौशल प्रशिक्षण के लिये 500 रुपए प्रतिदिन** और **आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिये 1,5000 रुपए का अनुदान** प्रदान करती है।
  - **दायरा और कवरेज:** इस योजना में **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार** शामिल हैं।
    - इन व्यवसायों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी और अन्य व्यवसायी शामिल हैं।
  - **पंजीकरण और कार्यान्वयन: विश्वकर्मा योजना के लिये पंजीकरण गाँवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है।**
    - इस योजना के लिये जहाँ केंद्र सरकार धनराशि मुहैया कराएगी, वहीं राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - यह सुनिश्चित करना कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्यशृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी **बाज़ार** पहुँच एवं अवसरों में वृद्धि हो।
  - **भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** का संरक्षण और संवर्धन।
  - कारीगरों को **औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन** करने और उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता करना।
- **महत्त्व:**
  - तकनीकी प्रगति के बावजूद, विश्वकर्मा (पारंपरिक कारीगर) समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - इन कारीगरों को पहचानने और समर्थन करने तथा उन्हें वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एकीकृत करने की आवश्यकता है।

कारीगरों के उत्थान के लिये सरकारी पहलें:

- अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
- मेगा क्लस्टर योजना
- राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना
- हस्तशिल्प के लिये निर्यात संवर्धन परिषद
- एक ज़िला एक उत्पाद

- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर योजना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-vishwakarma-scheme